संख्या-86/2020/393/पांच-6-2020-47(निर्माण)/16 टी0सी0-2

प्रेषक

शत्रुन्जय कुमार सिंह,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 25 मार्च, 2020

विषय:-वित्तीय वर्ष 2019-20 में निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उमरीकला, जनपद मुरादाबाद के भवन निर्माण हेतु जी.एस.टी. की धनराशि रू0 6.72 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के पत्र संख्या-13226/17फ/नि0नि0अ0/2019-20, दिनांक 27.02.2020 व मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या-280/2016/2577/पॉच-6-16-47(निर्माण)/16, दिनांक 08.11.2016, शासनादेश संख्या-293/2018/2359/पॉच-6-18-47(निर्माण)/16 टी0सी0-2, दिनांक 05.09.2018 एवं शासनादेश संख्या-333/2018/2359(क)/पॉच-6-18-47(निर्माण)/16 टी0सी0-2, दिनांक 16.02.2018 के अनुक्रम में अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 08.11.2016 के द्वारा रू0 131.36 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 50.00 लाख अवमुक्त किया गया तथा शासनादेश दिनांक 05.09.2018 द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु रू0-154.37 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करते हुए शासनादेश दिनांक 16.02.2018 द्वारा अवशेष धनराशि रू0-104.37 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। अत: प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु समस्त धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके प्रस्तावानुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उमरीकला, जनपद मुरादाबाद के भवन निर्माण पूर्ण कराये जाने हेतु जी0एस0टी0 की धनराशि रू0-6.72 लाख (रूपया छ: लाख बहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

1. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 एवं शासनादेश संख्या-280/2016/2577/पॉच-6-16-47(निर्माण)/16, दिनांक 08.11.2016, शासनादेश संख्या-293/2018/2359/पॉच-6-18-47(निर्माण)/16 टी0सी0-2, दिनांक 05.09.2018 एवं शासनादेश संख्या-333/2018/2359(क)/पॉच-6-18-47(निर्माण)/16 टी0सी0-2, दिनांक 16.02.2018 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत कार्य अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
3. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
4. शासन द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
5. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 की होगी।
6. नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।
7. यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।
8. प्रश्नगत कार्य प्रत्येक दशा में निर्धारित समयावधि में पूर्ण करा लिया जायेगा।
9. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।
10. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
11. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृति दी गयी है।
12. उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2019-20 की अनुदान संख्या-32 के लेखाशीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-103-प्राथ0स्वा0केन्द्र-04-नये प्राथ0स्वा0केन्द्रों का भवन (चालू अंश जिला योजना)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किया जा रहा है। उक्त कार्यालय-ज्ञाप की शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,
शत्रुन्जय कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-86/2020/393(1)/पांच-6-2020, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, द्वितीय , उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, मुरादाबाद।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
5. संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
6. अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
9. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुरादाबाद।
10. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0, लखनऊ/मुरादाबाद।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
12. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
शशिकान्त शुक्ल
उप सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।